न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः— 18 / 2014

तारीख रजू :—04.08.2014

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

..........आवेदक

बनाम

1. धनश्याम अग्रवाल पुत्र दुलीचंद अग्रवाल (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) मैसर्स श्याम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड छाण ग्राम पोस्ट छाण तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर राज0 निवासी बस स्टैण्ड छाण ग्राम पोस्ट छाण तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2. गोविन्द प्रसाद गोयल पुत्र श्री चिरंजीलाल गोयल (खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक) मैसर्स गोविन्द ट्रेडर्स मनिहारी बाजार शहर सवाईमाधोपुर निववासी 19, 20 केशव नगर बजरिया सवाई माधोपुर।
3. आनंद सक्सैना पुत्र रजनीकांत सक्सैना (नौमिनी एवं खाद्य अनुज्ञापत्रधारी) मैसर्स गुडरिक ग्रुप लिमिटेड रजि0 ऑफिस केमलिया हाउस 14 गुरूसदाय कोलकाता 700019, डिपो गुडरिक ग्रुप लिमिटेड प्लॉट नं0 सी 65 रोड न0 1 सी वी के आई एरिया जयपुर। निवासी मकान नं0 14 जी नं0 1 शाहजनाबाद भोपाल मध्यप्रदेश।

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः—

दिनांक 31-05-2022

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार रामचन्दानी (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 18.09.13 को समय 1.15 पी.एम. पर [illegible] किराणा स्टोर बस स्टेण्ड छाण जिला सवाई माधेपुर पर पहुंचा। वहां [illegible] धनश्याम अग्रवाल [illegible] पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबार कर्ता) निवासी बस स्टेण्ड छाण जिला [illegible] को अपना परिचय [illegible] परिचय लिया गया। यह है कि विक्रेता की उपस्थिति में दुकान [illegible] निरीक्षण किया गया। दुकान में खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:43 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

पदार्थ चायपत्ती (गुडरिक) 250 ग्राम की 30 पेक्ड पैकिट पैक अवस्था में विक्रय हेतु रखी थी। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ चायपत्ती (गुडरिक) 250 ग्राम का नमूना लेने हेतु विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र /खाद्य अनुज्ञा पत्र मात्र मांगा गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ चायपत्ती(गुडरिक) 250 ग्राम की 08 पेक्ड पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 560/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गया एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ चायपत्ती (गुडरिक) 250 ग्राम की 08 पेक्ड पैकिटो का चार बराबर –बराबर भागों में बांटकर प्लास्टिक के चार जारे में प्रत्येक जार में 02 पैकिट डालकर प्रत्येक जार को बंद किया गया। आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया गया तथा प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर चिपका कर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–340 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धोगे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनाों ए गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया गया।यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनकर एवं समझाकर हस्ताक्षर लिये गये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म न0 6 की प्रतियां तैयार की गई तथा वह नमूना सील लगाई गई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबनद कर सील माहेर कर एवं दो प्रति फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मेाहर कर एवं दो प्रति फॉर्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक मो0 असलम द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रति के डी.ओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अध्किारी) सवाई माधेपुर को जमा कराया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2013/2009 दिनांक 07.10.13 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एफएसएसएल/कोटा/2013/279 दिनांक 27.09.13 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ चायपत्ती (गुडरिक) 250 ग्राम मिसब्राण्ड (पैकेजिंग एवं लेबलिंग रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन) पाया गया है। यह है आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत धनश्याम अग्रवाल (खाद्य कारोबार कर्ता एवं मालिक) मैसर्स श्याम किराना स्टोर बस स्टेण्ड छाण जिला सवा[illegible] को खाद्य अनुज्ञा पत्र क्रय बिल एवं फर्म मालिक की सूचना चाहने पर मैसर्स [illegible] जिला सवाई माधोपुर ने प्रत्युत्तर मय फर्म खाद्य पदार्थ चायपत्ती (गुडरिक)250 ग्राम के क्रय [illegible] की प्रति एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। यह है कि अनुसंधान [illegible]न्द ट्रेडर्स शहर सवाई माधोपुर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:43 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

लाइसेंस जारीकर्ता को पत्र लिखे जाने पर प्रत्युत्तर में मैसर्स गोविन्द ट्रेडर्स द्वारा फर्म के खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति एवं खाद्य पदार्थ चायपत्ती (गुडरिक)250 ग्राम के क्रय बिल की प्रति प्रस्तुत की गइ। यह है कि अनुसंधान बाबत मैसर्स गुडरिक ग्रुप लिमिटेड प्लॉट नं0 सी 65 1 सी वी.के. आई एरिया जयपुर वाणिज्य कर अधिकरी एवं लोईसेंस जारीकर्ता को पत्र लिखा गया जिसके प्रत्युत्तर में मैसर्स गुडरिक ग्रप लिमिटेड प्लाट नं0 सी 65 1 सी वी.के आई एरिया जयपुर ने फर्म के खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति एवं नोमिनी की प्रति प्रस्तुत की गई। यह हे कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त न0 एक व दो ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ चायत्ती (गुडरिक) 250 ग्राम का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकनयम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक ने अभियुक्तगण पर अधिकत्तम जुर्माना करने हेतु निवेदन किया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री भोलाशंकर शर्मा एड0 द्वारा वकालतनामा पेश किया । प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ चायपत्ती(गुडरिक) 250 ग्राम का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा जबाव/बहस में तर्क दिया गया कि अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 द्वारा जरिये बिल माल खरीदा गया है अतः उक्त प्रकरण में अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 पर कार्यवाही ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया गया कि कम्पनी के प्रोडक्ट की एफएसएल रिपोर्ट में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। महज कंपनी के एड्रेस लिखने में गलती पाई गई है, अत : अभियुक्त संख्या 3 को भी दोषमुक्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एफएसएसएल/कोटा/2013/279 दिनांक 27.09.13 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया. गया खाद्य पदार्थ चायपत्ती(गुडरिक) 250 ग्राम मिसब्राण्ड पाया गया जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी पाया जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:43 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ चायपत्ती(गुडरिक) 250 ग्राम का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत **अभियुक्त संख्या 1 पर 5,000/–रू0 (अक्षरे पांच हजार रूपये) तथा अभियुक्त संख्या 2 पर 5,000/ रू0** तथा मिसब्राण्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ चायपत्ती(गुडरिक) 250 ग्राम का निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत **अभियुक्त संख्या 3** पर **20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31-05-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:43 IST
Reason: SelfAttested